गैर जरूरी 58 अप्रचलित कानून होंगे खत्म

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 2 अगस्त।

संसद ने पुराने पड़ चुके 58 अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने के प्रावधान वाले एक अहम विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इन कानूनों में कुछ कानून डेढ़ सौ साल से भी ज्यादा पुराने हैं। राज्यसभा ने निरसन और संशोधन विधेयक 2019 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

चर्चा में ज्यादातर सदस्यों ने इसका स्वागत किया और सुझाव दिया कि मूल विधेयक में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कानून का प्रयोजन समाप्त होने के बाद वह खुद ही समाप्त हो जाए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक की चर्चा करते हुए कहा कि इस विधेयक के जरिए पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त किया जा रहा है। जिनकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानूनों की समीक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता है।

> कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार दो प्रकार के कानूनों को समाप्त कर रही है। इनमें मूल कानून और संशोधित कानून शामिल हैं। संशोधित कानून भी अपने आप समाप्त नहीं होते। उन्होंने भारतीय दंड संहिता, 1860 की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें समय-समय पर जरूरी संशोधन किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सरकार ने फैसला किया था कि अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को समाप्त किया जाएगा। इसके लिए दो लोगों की समिति बनाई गई थी। समिति ने 1824 कानूनों की पहचान की थी और अब तक 1428 कानून वापस लिए जा चुके हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। पुराने वित्त विधेयकों को भी समाप्त किया जाना है और इसके लिए वित्त मंत्रालय से चर्चा चल रही है।

चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के भूपेंद्र यादव ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि विधेयक संसद में ही आते हैं और उनमें ही ऐसा जिक्र होना चाहिए कि उनका प्रयोजन समाप्त होते ही वे स्वतः समाप्त हो जाएं। मृतप्राय कानूनों को समाप्त करने के लिए सरकार को कोई प्रक्रिया अपनानी चाहिए। कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि कानून का प्रयोजन पूरा हो जाने पर उन्हें वापस लेना उचित है।

मुंबई में दीवार गिरने से एक की मौत, एक घायल

मुंबई, 2 अगस्त (भाषा)। उपनगरीय साकीनाका के चांदीवली फार्म की एक चॉल (किराएदारों के लिए रहने वाले पुराने समय के कमरे) में शुक्रवार को दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। निकाय अधिकारी ने यह जानकारी दी।

BRILLIANT PORTFOLIOS LIMITED
Regd. Office: B-09, 412, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110088
Tel.: 011-45058963 | Email: brilliantportfolios@gmail.com
CIN: L74899DL1994PLC057507

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Monday, August 12th 2019 at 11:00 a.m.** at its registered office, inter-alia to consider, approve and take on records the Unaudited financial results of the company for the Quarter ended on **30th June, 2019.**
The information contained in the Notice is available on the website of the Company- www.brilliantportfolios.com and on the website of BSE- www.bseindia.com

For **Brilliant Portfolios Limited**
Sd/-
Ashish
Company Secretary & Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 02/08/2019

ऐक्सिस बैंक — अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी-4/5, बी, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक-बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई-400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डेन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380 006

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल संपत्तियों के बिक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है जहाँ है" और "जो कुछ भी है के आधार पर"** बेचा जाएगा **श्री रजत कुलश्रेष्ठ (ऋणी)** एवं **श्रीमती शालिनी कुलश्रेष्ठ (सह-ऋणी), श्रीमती रिचा कुलश्रेष्ठ (सह-ऋणी)** से प्रतिभूत लेनदार की **रूपये 1,97,69,454.00** देय दिनांक **30.01.2017** की बकाया राशि की वसूली हेतु **दिनांक 13.09.2019 को पूर्वान्ह 1100 बजे (निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 12.09.2019 को अपरान्ह 5:00 बजे तक)** को बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य **1,25,54,588/- रूपये** होगा और अग्रिम धनराशि **12,55,459/- रूपये** होगी।

खाता संख्या	स्थान/ अचल सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति पर बैंक की जानकारी में कोई भार
PHR008601580742	स्थित प्लाट नम्बर 78, कैलाश विहार, मौजा गैलाना, हरि पर्वत वार्ड, आगरा 282004, जोकि **रजत कुलश्रेष्ठ** के नाम, **क्षेत्रफल-384.30 वर्ग मी0**	नहीं

विक्रय के निबन्धन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये वेबसाइट **https://www.axisbank.com/auction-notices/** पर क्लिक करें।
दिनांक : 03.08.2019, स्थान : लखनऊ (प्रा0 अधिकारी), एक्सिस बैंक लि0

सीतापुर जेलकर्मियों का रिश्वत लेते वीडियो वायरल

लखनऊ, 2 अगस्त (भाषा)।

सीतापुर जेलकर्मियों द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले का एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस जेल में उन्नाव के बलात्कार आरोपी कुलदीप सेंगर बंद हैं।

पुलिस महानिदेशक (जेल) आनंद कुमार ने बताया कि मैंने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन यह बात मेरे संज्ञान में आई है। हम मामले की जांच करवाएंगे और कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता पाया जाएगा तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। सीतापुर जेल के बाहर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुर्ता पायजामा पहने एक व्यक्ति बाहर आ रहा है और एक पुलिसकर्मी को कुछ दे रहा है। इस आदमी की पहचान रिंकू शुक्ला के रूप में हुई है, यह उन्नाव जिला पंचायत का सदस्य है और सेंगर का करीबी माना जाता है। वीडियो के दूसरे हिस्से में मोटर साइकिल पर सवार एक युवक आता है, वह किसी से विधायक से मिलवाने की बात करता है। इस पर उससे कहा जाता है कि अभी बहुत सख्ती है, बाद में आना।

- इसी जेल में बंद है बलात्कार का आरोपी सेंगर
- उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिया मामले की जांच का आदेश

रिंकू शुक्ला से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेंगर से मिलने के लिए उसका इरादा पुलिसकर्मियों को घूस देने का नहीं था। उसने कहा कि यह मेरी आदत है कि जब मैं जेल मिलने जाता हूं तो उन्हें (पुलिसकर्मियों) चाय-पानी के लिए कुछ दे देता हूं, यह रिश्वत नहीं है। मैं दस-पंद्रह दिन पहले सेंगर से मिला था।

NIIT — एनआईआईटी लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली 110019
फोन: 91 (11) 41675000; फैक्स: 91 (11) 41407120
CIN: L74899DL1981PLC015865
वेबसाइट: http://www.niit.com; ई-मेल: investors@niit.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड एवं स्टैंडअलोन दोनों का अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृत करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 10 अगस्त, 2019 को आयोजित की जाएगी।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.niit.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
कृते **एनआईआईटी लिमिटेड**
हस्ता./-
दीपक बंसल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 02 अगस्त, 2019

आन्ध्रा बैंक

Andhra Bank — Where India Banks (A Govt. of India Undertaking)
16 विधान सभा मार्ग, बापू भवन के सामने, लखनऊ-226001, फोन नं. 0522-2626668, 2992171

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 54 की धारा 13(2) के अर्न्तगत सूचना
मांग सूचना

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता/प्रोपराइटर/बंधककर्ता/को-ओबलीगेंट का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि / मांग सूचना तिथि / एनपीए की तिथि
1.	उधारकर्ताः मैसर्स सादिक कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री, पार्टनर्सः क). श्री मोहम्मद शाहनवाज़ खान पुत्र स्व. मोह. इस्माइल खान, ख). श्री मोहम्मद शाह अली खान पुत्र स्व. मोह. इस्माइल खान, ग). रफत मिर्ज़ा खान पत्नी श्री मोह. शाहनवाज़ खान 5/14 खिन्नी तल्ला, रायबरेली, उत्तर प्रदेश जमानतकर्ता व बंधककर्ता : फरजाना तबस्सुम उर्फ रहमानी पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद इस्माइल खान 595/14 खिन्नी तल्ला, रायबरेली जमानतकर्ता (ओं) : क). मोहम्मद शाह अली खान पुत्र स्वर्गीय इस्माइल खान म. नं- 92/177 वेदराज कॉम्प्लेक्स के पीछे, जीबी मार्गोल्ड, आरटीओ कम्पाउंड, अमीनाबाद पार्क ख). मोहम्मद शाहनवाज़ खान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इस्माइल खान 49 खिन्नी तल्ला, रायबरेली ग). रफत मिर्ज़ा खान पत्नी श्री मोहम्मद शाहनवाज़ खान 595/14 खिन्नी तल्ला रायबरेली	क). सम्यक बंधक प्लॉट नं 2413, क्षेत्रफल 0.240 हेक्टेयर और 351/405, प्लॉट नं 2422 में क्षेत्रफल 0.188 हेक्टेयर की हिस्सेदारी, (कुल क्षेत्रफल प्लॉट संख्या 2422 = 03.217 हेक्टेयर) कुल 2 किता क्षेत्रफल 0.428 हेक्टेयर, स्थित ग्राम सलोन, परगना और तहसीलः सलोन, जिलाः रायबरेली, **मैसर्स सादिक कोल्ड स्टोरेज एंड आईस फैक्ट्री** के नाम पर चौहद्दीः- पूर्वः श्याम लाल और मो. फहीम का खेत, पश्चिमः मोहम्मद फहीम के खेत और जीएस भूमि, उत्तरः रोड सलोन से जगतपुर, दक्षिणः राजेंद्र की भूमि आदि। ख). सम्यक बंधक प्लॉट सं. 225 (एम), क्षेत्रफल 0.3190 हेक्टेयर = 1 बीघा, 5 बिस्वा और 5 बिस्वंसी = 3190 वर्ग मीटर स्थित ग्राम किशुनपुर राय, परगना, तहसील और जिला रायबरेली **श्रीमती फरजाना तबस्सुम उर्फ रहमानी पत्नी स्व. मोहम्मद इस्माइल** के नाम पर चौहद्दीः- पूर्वः विक्रेता का खेत, पश्चिमः रामलाल और जगतपाल और अन्य के खेत, उत्तरः रास्ता और फिर रेलवे लाइन, दक्षिणः कम्मो का खेत।	रू. 2,15,97,471.20 02.07.2019 तक मांग सूचना तिथि 02.07.2019 एनपीए की तिथि 27.06.2019
2.	उधारकर्ताः सेवा डिजिटल, प्रोपराइटर श्री इमरान रज़ा प्रथम तल, म.नं. 474/14 (9), सीतापुर रोड, वार्ड कदम रसूल, लखनऊ (उ.प्र.) को-ओबलीगेंट व बंधककर्ताः सैयद दाऊद रज़ा 169/11 खयाली गंज, कैसरबाग, पो.ऑ. अमीनाबाद, लखनऊ (उ.प्र.)	सम्यक बंधक आवासीय भूमि व भवन स्थित मकान नं. 280/83, प्लॉट सं. 4 पर निर्मित स्थित ब्लंट स्क्वायर, मवैया स्कीम, वार्ड सेवाग्राम स्टेडियम, तहसील व जिला लखनऊ, क्षेत्रफल 4714 वर्ग फीट या 438.104 वर्ग मी. **सैयद दाऊद रज़ा** के नाम पर चौहद्दीः- पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 5, उत्तरः गली दक्षिणः फुटपाथ और रोड।	रू. 78,16,457.50 02.07.2019 तक मांग सूचना तिथि 02.07.2019 एनपीए की तिथि 05.06.2019

आप सभी को एतद्द्वारा अधोहस्ताक्षरी सूचित करता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार आप द्वारा ऋण/सुविधा के सापेक्ष देय बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण आपका खाता उपरोक्त दिनांक को एनपीए में वर्गीकृत हो गया है एवं आप सभी को संयुक्त या अलग रूप से दोनों समझौते के अनुसार देय राशि के साथ ही आगामी ब्याज एवं अन्य खर्चों को जमा करने हेतु उत्तरदायी है। आप सभी को 60 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज सहित बकाया भुगतान करने हेतु इस नोटिस के द्वारा कहा गया है, जिसमें असफल रहने पर बैंक सम्पत्ति के खिलाफ निम्नलिखित में एक या अधिक उपाय करने हेतु बाध्य होगा।

अतः बैंक सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट (2002 के 54) के अर्न्तगत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अदालत के हस्तक्षेप के बिना खाते के सापेक्ष उपरोक्त बन्धक/दृष्टिबंधक सम्पत्ति पर कब्ज़ा लेने हेतु विवश हो जायेगा।

1. बैंक उधारकर्ता की सुरक्षित सम्पत्ति पर कब्ज़ा लेगा जिसमें सम्पत्ति की लीज, असाइनमेंट या बिक्री द्वारा हस्तान्तरण का अधिकार सम्मिलित होगा।
2. बैंक उधारकर्ता की सुरक्षित सम्पत्ति का पूरा प्रबन्धन देखेगा जिसमें सम्पत्ति के सम्बन्ध में हस्तान्तरण बिक्री, पट्टे या बिक्री किसी अन्य माध्यम का अधिकार सम्मिलित होगा।
3. बैंक उधारकर्ता की सुरक्षित सम्पत्ति का पूरा प्रबन्धन करने हेतु एक व्यक्ति (जो प्रबन्धक होगा) को नियुक्त करेगा जो सम्पत्ति पर कब्ज़ा करेगा।
4. नोटिस के द्वारा किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर, और जिससे इसके अतिरिक्त बैंक किसी भी व्यक्ति से डिमाण्ड कर सकता है जिसने उधारकर्ता की सुरक्षित सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया हो, एवं जिससे बैंक किसी भी बैंक किसी भी वजह से बैंक के बकाया राशि के भुगतान करने का कारण बन सकता है।

कृपया इस सूचना के प्राप्ति होने के पश्चात बैंक को बिना कोई सूचना दिये आप सम्पत्ति के हस्तान्तरण बिक्री या पट्टे या बिक्री या किसी अन्य माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। बिक्री आदि कार्यवाही के माध्यम से खर्चे आदि का निस्तारण किया जायेगा एवं बिक्री प्रक्रिया के अर्न्तगत यदि धनराशि बकाया धनराशि से कम पायी गई तो सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 54 के अनुसार बकाया धनराशि की वसूली हेतु संयुक्त या अलग-अलग कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह नोट किया जा सकता है कि नियम के सेक्शन 13(8) के प्रावधानों के अर्न्तगत किसी भी समय, सूचना के प्रकाशन की तिथि, सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन आमंत्रण या निविदा लागतों, शुल्कों एवं खर्चों के साथ बैंक की देनदारी कर भुगतान कर ऋण मुक्ति का अधिकार आपके लिए उपलब्ध है।

इस सूचना को किसी अन्य कानून के तहत बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की गई है।

दिनांकः 03.08.2019 स्थानः लखनऊ मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/s. IMMORTAL BUILDCON PRIVATE LIMITED

	RELEVANT PARTICULARS	
1	Name of corporate debtor	IMMORTAL BUILDCON PRIVATE LIMITED
2	Date of incorporation of corporate debtor	01/07/2013
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies - Delhi
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U70101DL2013PTC254626
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office as per MCA Records: **1 Main Road Maujpur Delhi North East DelhiL 110053.**
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	**31st July, 2019** (NCLT, Delhi Bench passed Order dated 24.07.2019 (I.B) No. 1152/ND/2019. Order received by Interim Resolution Professional on 31ST July, 2019 as uploaded.
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	**20th January, 2020** 180 days from the date of admission of application.
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional (IRP)	Mr. Ranjan Chakraborti, IBBI/IPA-002/IP-N00541/2017-2018/11618
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Flat No. 522, Sector -17D, Konark Enclave , Vasundhara Ghaziabad-201012. Email: ranjanns@gmail.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Flat No. 522, Sector -17D, Konark Enclave , Vasundhara Ghaziabad-201012. Email: irpimmortal@gmail.com
11	Last date for submission of claims	**13th August, 2019** i.e., 14 days from appointment date of CIRP i.e. order received on **31st July, 2019.**
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not applicable at present
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable at present
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	i) Weblink:www.ibbi.gov.in/home/downloads ii) Physical Address:same as mentioned in point 10 and iii) Email IRP at : irpimmortal@gmail.com Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process of the **M/s. IMMORTAL BUILDCON PRIVATE LIMITED** on July 24, 2019. The order received by Interim Resolution Professional on 31st July, 2019.
The creditors of **M/s. IMMORTAL BUILDCON PRIVATE LIMITED** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before **13th August 2019** to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.
A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [None at present] in Form CA.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

RANJAN CHAKRABORTI
(Interim Resolution Professional)
Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-N00541/2017-2018/11618
Place: Delhi NCR
Date: 02.08.2019

किडनी घोटाले में सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

नई दिल्ली, 2 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से उस याचिका को लेकर जवाब मांगा जिसमें विभिन्न राज्यों में बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों से जुड़े वृहद और सुसंगठित किडनी प्रत्यारोपण घोटालों की शिकायतों की सीबीआइ या एसआइटी से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति बीआर गवई के पीठ ने 23 महीने के दिव्यांग बच्चे की याचिका पर कानून एवं न्याय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों को भी नोटिस जारी किया। बच्चे ने अपनी मां सपना जैन के जरिए न्यायालय में याचिका दायर की।

बच्चा वेस्ट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिससे वह यहां एक निजी अस्पताल में अपने जन्म के समय सिर पर चोट लगने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो गया है। शीर्ष न्यायालय ने जनहित याचिका पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत राज्यों से भी जवाब मांगे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसकी जांच की निगरानी एक या अधिक पूर्व न्यायाधीशों या वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति करें।

जांच कॉरपोरेट अस्पतालों में व्यावसायीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति की वजह का पता लगाने और इस पर लगाम लगाने की सिफारिश करने वाली होनी चाहिए। याचिका में मीडिया में आई खबरों के हवाले से कहा गया है कि बड़ी संख्या में गरीब और कमजोर नागरिकों को किडनी बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों ने इसे रोकने के लिए कोई एहतियातन कदम नहीं उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि अन्य अपराधों के विपरीत अंगों की तस्करी किसी डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की भागीदारी के बिना संभव नहीं है।

JAGJANANI TEXTILES LIMITED
Regd. Office: SCOs 33 & 34 RIICO Shopping Complex, Bagru Ext. 1, Bagru, Jaipur-303007 (Rajasthan)
E-mail: jtlsgv@gmail.com
Phone: 0141-4104745
CIN: L17124RJ1997PLC013498
NOTICE
Pursuant to the requirements of listing with BSE, Notice is hereby given that meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 10/08/2019, Saturday at 3.00 PM at above Regd. Office address to inter-alia consider and approve the unaudited financial results of the Company for the Quarter Ended 30/06/2019 and any other matter with the permission of Chair.
For **Jagjanani Textiles Limited**
Sd/-
Ajay Sharma
Company Secretary
Place: Jaipur
Date: 02/08/2019

NEW LIGHT APPARELS LIMITED
Regd. Office: GC-24, 1st Floor, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027
Landline: (91)-11-45613885
CIN: L74899DL1995PLC064005
Web: http://www.newlightapparels.com
E-Mail: newlight.apparels@gmail.com
NOTICE
In Compliance of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 13th August, 2019 at 04:00 P.M. at the Registered Office of the Company at GC-24, 1st Floor, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027, inter-alia to consider and approve the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the first quarter ended 30th June, 2019.
The notice shall also available on Company website at www.newlightapparels.com and also on stock exchange website at www.bseindia.com.
By Order of the Board
For **NEW LIGHT APPARELS LIMITED**
Sd/-
Shilpa Bansal
Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

राजस्थान विधानसभा में गाय को लेकर हंगामा

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 2 अगस्त।

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को गाय के मसले पर सियासत गरमा गई। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच जमकर तू-तू,मैं-मैं हुई। इस हंगामें में दोनों दलों के नेता एक दूसरे से उलझते रहे और आरोप प्रत्यारोप करते रहे।

बजट सत्र के दौरान विधानसभा में शुक्रवार को गाय को लेकर हंगामें के हालात बन गए। इससे कार्यवाही में बाधा पहुंची और सभापति ने दोनों दलों के विधायकों को संयम बरतने की सलाह दी। भाजपा विधायक मदन दिलावर और कांग्रेस के विधायक गिर्राज मलिंगा के बीच जमकर तू-तड़ाक हुई। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बीच भी बहस हुई।

संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल ने पिछले दिनों गाय को लेकर कुछ बयान दिए थे।

तेजस्वी ने की अपील

पटना, 2 अगस्त (भाषा)।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से, 'हिंदू बनाम मुसलमान और फर्जी राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों' से सतर्क रहने व दुष्प्रचार से प्रभावित हुए बिना सरकार चुनने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष ने गुरुवार को फेसबुक पोस्ट में अपने विचार साझा किए। लोकसभा चुनावों में पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाने के बाद से ही वह निराश चल रहे हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे
कोटेशन सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक (वा०), पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्न कार्य हेतु मुहरबन्द कोटेशन (सूचना सं.-17/2019 पार्किंग) आमंत्रित की जाती है:- **क्रम सं०-1**, कार्य का विवरणः कसया-गोरखपुर मार्ग पर, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, गोरखपुर के पास स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड की जमीन पर 10528.00 वर्ग मी. एरिया में संयुक्त पार्किंग (दो पहिया, तीन पहिया एवं चौपहिया वाहन) का ठेका कोटेशन के आधार पर 90 दिन हेतु। एरिया (वर्गमीटर में): 10528.00, प्रस्तावित राशि 90 दिन हेतु (रू.में): 12,96,000/- (जीएसटी सहित), धरोहर राशि (रू.में): 5,000/-
● निविदा फार्म बिक्री की तिथि एवं समयः 02-08-2019 से 13-08-2019 तक समय 10:00 बजे से 17:00 बजे तक (कार्यालय कार्य दिवस में)। ● कोटेशन डालने की तिथि एवं समयः 14-08-2019 को 10:00 बजे से 14:00 बजे तक (कार्यालय कार्य दिवस में)। ● कोटेशन खोलने की तिथि एवं समयः 14-08-2019 को 15:00 बजे।
विज्ञप्ति सूचना एवं कोटेशन प्रपत्र प्रारूप तथा नियम व शर्तों की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट "www.ner.indianrailways.gov.in" पर उपलब्ध है तथा मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य) कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, अशोक मार्ग लखनऊ से भी प्राप्त कर सकते है।
मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य),
मुजाधि/वाणिज्य-74 **लखनऊ**
यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो० नं०: 09794845955 पर एसएमएस करें
ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें।

LUMAX INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi-110046
Website: www.lumaxworld.in/lumaxindustries, Tel: +91 11 49857832
Email: lumaxshare@lumaxmail.com, CIN: L74899DL1981PLC012804
DK JAIN GROUP

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2019

(₹ in lakhs unless otherwise stated)

PARTICULARS	QUARTER ENDED 30 June 2019 (Un-audited)	YEAR ENDED 31 March 2019 (Audited)	QUARTER ENDED 30 June 2018 (Un-audited)
Total Revenue from operations	40,202.35	1,85,145.00	48,191.49
Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax (before exceptional items)	2,267.99	9,807.83	2,775.82
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	2,267.99	13,428.10	2,775.82
Net Profit / (Loss) after tax	1,656.08	10,379.42	2,004.36
Total comprehensive income	1,574.39	10,169.37	1,937.22
Equity Share Capital	934.77	934.77	934.77
Earnings per share (of ₹ 10 each) (for continuing operations):			
Basic:	17.72	111.04	21.44
Diluted:	17.72	111.04	21.44

Notes:
1. Exceptional items represent gain amounting to ₹ 3,620.27 Lakhs on sale of land and building.
2. Based on the guiding principles given in Ind AS-108 on 'Operating Segments', the Company's business activity fall within a single operating segment. Accordingly, the disclosure requirements of Ind AS 108 are not applicable.
3. The Company has set up in-house Electronic facility at Manesar on 11 April 2019 for manufacture of PCBs (Printed Circuit Boards) with Surface Mounted Technology (SMT) for its captive consumption. This facility has been established pursuant to purchase of certain assets from Lumax Auto Technologies Limited at a consideration of ₹ 2,245.41 lakhs which has been accounted in accordance with IND AS 103, 'Business Combinations'.
4. With effect from 1 April 2019, the Company has adopted Ind AS 116, 'Leases' retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard, recognized as an adjustment to the opening balance of retained earnings as on the date of initial application (1 April 2019). Accordingly, the Company is not required to restate the comparative information for the year and quarter ended 31 March 2019 and quarter ended 30 June 2018.
   On 1 April 2019, the Company has recognised, a lease liability measured at the present value of the remaining lease payments discounted using the lessee's incremental borrowing rate as at 1 April 2019 and Right-of-Use (ROU) asset equal to the lease liability, adjusted by accrued lease payments recognised as at 31 March 2019. Also, the Company has elected not to apply the requirements of Ind AS 116 to short-term leases and leases for which the underlying asset is of low value. There is no material effect on adoption of Ind AS 116 on the Company's consolidated unaudited results.
5. Key information on Standalone Financial Results is as follows:

PARTICULARS	QUARTER ENDED 30 June 2019 (Un-audited)	YEAR ENDED 31 March 2019 (Audited)	QUARTER ENDED 30 June 2018 (Un-audited)
Total Revenue from operations	40,202.35	1,85,145.00	48,191.49
Profit before tax	1,957.41	13,908.22	2,452.64
Net Profit / (Loss) after tax	1,393.48	10,740.00	1,736.28

6. The above results for the quarter ended 30 June 2019 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 2 August 2019. The unaudited results for the current quarter have been reviewed by the Statutory Auditor.
7. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter ended 30 June 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30 June 2019, are available on the Stock Exchange websites of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) or Company's website (www.lumaxworld.in/lumaxindustries).

For and on behalf of the Board of Directors
Deepak Jain
Chairman & Managing Director
Place: Gurugram
Date: 2 August 2019

IndiGo

इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड

सीआईएनः एल62100डीएल2004पीएलसी129768
पंजीकृत कार्यालयः सेन्ट्रल विंग, ग्राऊंड फ्लोर, थापर हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001, भारत
टेलीफोनः +91 11 96500 98905; **फैक्सः** +91 11 4351 3200
ई-मेलः investors@goindigo.in वेबसाइटः www.goindigo.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्टरग्लोब एविएशन लिमिटेड ("कम्पनी") की सौलहवीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को भारतीय मानक समय प्रातः 10:00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इन्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016, भारत में आयोजित होगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विषयों के अनुसार चर्चा होगी ("सूचना")।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") के साथ सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास पंजीकृत है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की भौतिक प्रतियाँ अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। सदस्यगण यह भी ध्यान रखें कि सूचना, उपस्थिति पर्ची, प्रतिनिधि प्रपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.goindgo.in** के निवेशक संबंध खण्ड पर भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे। एजीएम की तिथि तक शनिवार छोड़कर सभी कार्यदिवसों में साधारण व्यवसायिक समय के दौरान एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे एवं इन दस्तावेजों की प्रतियाँ कम्पनी के कॉरपोरेट कार्यालय पर भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 24 अगस्त, 2019 को प्रातः 10.00 बजे शुरु होगी और सोमवार, 26 अगस्त, 2019 को सायं 5.00 बजे बंद हो जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के समापन पर यह सुविधा निष्क्रिय कर दी जायेगी। वोटिंग का अधिकार कट ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 को सदस्यों द्वारा रखें हुए इक्विटी शेयर के अनुसार होगा। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के पात्र तभी हो सकते हैं जब वो इस तिथि तक शेयरों को रखते हैं। इसके साथ ही, एजीएम के स्थान पर बैलेट पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान नही किया है वो एजीएम में मतदान करने के पात्र होगें। रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट एजीएम से पहले देने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद लेकिन रिमोट ई-वोटिंग के लिए कट ऑफ तिथि मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 तक या उससे पहले कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह युज़र आईडी एवं पासवर्ड +91 9212993399 पर एसएमएस या **evoting@karvy.com** पर ईमेल भेजकर प्राप्त कर सकता है या सूचना क्रमांक 23 में जैसा बताया गया है उसी प्रकार से https://evoting.karvy.com के होम पेज पर पासवर्ड बना सकता हैं। लेकिन यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड ("कार्वी") पर पहले से ही पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिए अपना वर्तमान युज़र आईडी एवं पासवर्ड प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई पूछताछ करनी हो तो आप कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** के डाउनलोड खण्ड में 'निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) तथा 'ई-वोटिंग युज़र उपयोग नियमावली' देख सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी शिकायत के लिए आप श्री आई. एल. मूर्ति, कॉरपोरेट पंजीयन प्रबंधक, कार्वी, कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032, भारत से टेलीफोन नं0: +91-40-67161500 पर सम्पर्क कर सकते हैं या Email: **lakshmana.murthy@karvy.com, evoting@karvy.com** पर ई-मेल कर सकते है।

निदेशकों के बोर्ड के आदेश से
कृते **इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड**
हस्ता/-
संजय गुप्ता
कंपनी सचिव तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी
स्थान : गुड़गाँव
दिनांक : 02 अगस्त, 2019